न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी प्रतिमा वर्मा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 1 / 19 अपील

देवा पिता स्व. शंकर जी मीणा, उम्र वयस्क, निवासी–हाइला कुई, सरू, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

अपीलान्ट्

बनाम

1. बदा पिता रामा मीणा, उम्र वयस्क, निवासी– हाइला कुई, सरू फला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2. लक्ष्मण पिता कचरा मीणा, उम्र वयस्क, निवासी– हाइला कुई, मोकड़ा डबन, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
3. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, गिर्वा, उदयपुर

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 बसिलसिले नामान्तरण संख्या 379 ग्राम पंचायत सरू, दिनांक 20.12.1974 अपीलान्ट अधिवक्ता श्री अरूण व्यास उपस्थित

निर्णय

दिनांक : 05.10.2023

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर अंकित किया कि राजस्व ग्राम हाईला कुई, पटवार मण्डल सरू, में अपीलांट के दादा स्व. श्री मनजी पिता कालू मीणा के नाम से कृषि आराजीयात तत्कालिन खाता संख्या 489 सम्पूर्ण व 490 में 1 / 2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी, जो अपीलांट के दादा के कब्जे होकर लगातार उसपे काश्त करते चले आ रहे थे। अपीलांट के दादा स्व. मनजी के स्वर्गवास के उपरांत उनके नाम की उपरोक्त दोनों खातों की कृषि भूमि का एकमात्र वारिस अपीलांट के पिता शंकर था, मृतक मनजी के शंकर के अतिरिक्त कोई अन्य वारिस कभी नहीं था। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.121974 को मनजी की मृत्यु हो जाने से जरिये नामान्तरण संख्या 379 से अपीलांट के पिता श्री शंकर के नाम दर्ज किया गया। उक्त नामान्तरण में रेस्पोडेंट् संख्या एक ने तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर तत्समय या उसके बाद बिना अपीलांट व उसके पिता की जानकारी के अपना नाम मृतक मनजी के पुत्र के रूप में उक्त नामांतकरण में दर्ज करवा दिया जो नामांतरण आदेश देखने से भी स्पष्ट रूप से बाद में जोड़ा हुआ प्रमाणित होता है जिसे नामान्तरण आदेश में जगह नहीं होने से एरो का निशान कर अलग से

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

अंकित किया गया है तथा मूल नामान्तरण आदेश की स्याही व उक्त कूटरचना कर जोड़े गये नाम की स्याही में भी स्पष्ट अन्तर प्रथमदृष्टया दृष्टिपात हो रहा है। रेस्पोडेंट संख्या एक बदा का मृतक मनजी से दूर–दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं रहा है, बदा के पिता का नाम रामा मीणा था लेकिन उसने दुर्मशा से मृतक की सम्पति हड़पने की नियत से बिना किसी युक्तियुक्त आधार पर प्रमाण के बदा का नाम मिलीभगत कर खातें में अंकित करा दिया जबकि बदा का वर्णित आराजीयात पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमा, कथित नामान्तकरण आदेश दिनांक 20.12.1974 को निरस्त फरमा, नामान्तकरण में मात्र अपीलाण्ट के पिता शंकर का ही नाम दर्ज करने का आदेश फरमावें एवं शंकर की मृत्यु हो जाने से वर्तमान रेकार्ड में शंकर के वारिसान का नाम नामान्तरण करने का आदेश फरमावें।

रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि स्व. मनजी पिता कालू जी मीणा के दो लड़किया थी जिनका नाम धुली व थावरी था मनजी के कोई लड़का नहीं था धुली के लड़के बदा व शंकर है। मनजी की मृत्यु हो जाने से उनकी दोनों लड़किया धुली व थावरी मनजी की जमीन की वारिस बनी तथा धुली के पति का स्वर्गवास कम उम्र में हो गई जिस पर धुली पत्नी रामा मीणा के दोनों नाबालिग लड़के बदा जिसकी उम्र उस वक्त 10 साल व शंकर की उम्र उस वक्त साल थी तथा दोनो मनजी के साथ ही निवास करते थे मनजी पिता कालू जी ने अपने जीवन काल में ही उक्त दोनों नाबालिग लड़को बदा व शंकर को गौद रख लिया इस कारण उसके पिता का नाम मनजी हो गया व मनजी मीणा के स्वर्गवास हो जाने पर उनकी भूमि उनके दोनो गोद पुत्र बदा व शंकर के नाम से भूमि का राजस्व रेकार्ड में अंकित किया गया। अपीलांट के दादा हुरमा जी के दो लड़के शंकर व लक्ष्मण थे शंकर की मृत्यु हो गई जिसके लड़के अपीलांट देवा व बाबू है तथा लक्ष्मण का भी स्वर्गवास हो चुका है। नाजायज रूप से रेस्पोडेंट संख्या एक के स्वामित्व व कब्जे की भूमि को हड़पने की गरज से गलत कथन अंकित किये गये है। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते मयाद कण्डोन का स्वीकार किया जाकर मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की गई।

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

अपीलांट अधिवक्ता की बहस सुनी गई। रेस्पोंडेंट अधिवक्ता को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद बहस नहीं किए जाने से अपीलांट अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि नामान्तकरण संख्या 379 ग्राम पंचायत सरू द्वारा पारित किया गया जिसमें मनजी के वारिस केवल शंकर ही था। जबकि बाद में मिली भगत करके बदा का नाम भी नामांतकरण आदेश में जोड़ दिया गया था। जबकि मनजी के एकमात्र वारिस शंकर ही था।

पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत सरू द्वारा दिनांक 20.12.1974 को नामांतकरण संख्या 379 पारित कर मनजी की मृत्यु हो जाने से मनजी का विरासत का नामांतकरण पारित किया गया है। नामांतकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामांतकरण पारित करते समय विशेष विवरण कॉलम संख्या 12 टिप्पणी में अंकित है कि "महोदय निवेदन है कि मनजी मर चुका है जिसे एक माह का समय हुआ है। अतः विरासत से शंकर के नाम खाता बदलने की आज्ञा फरमावें।"

नामातंकरण के कॉलम संख्या 11 में खाता संख्या 490 के कृषक विवरण में शंकर, बदा पिता मनजी अंकित किया गया है तथा खाता संख्या 489 के कृषक विवरण में शंकर पिता मनजी, रामा पिता काला मीणा अंकित हुआ तथा बाद में अलग से बदा नाम जोडा गया। ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय पारित किया गया कि "आज दिनांक को नामान्तकरण कोरम में पेश हुआ श्री मनजी मर चुका। अतः उसका जायदां लड़का शंकर व बदा है। अतः उक्त खाता शंकर बदा नाम पर रदोबद्दल की स्वीकृति कोरम में दी जाती है।" उक्त निर्णय में जायन्दा लड़का शंकर के बाद "है" को काटकर व बदा बाद में जोड़ा गया है। अगली पक्तिं में उक्त खाता शंकर के नाम पर रदोबदल की स्वीकृति कोरम में दी जाती है में "के" को काटकर बदा अंकित किया गया है जो कि कॉलम से बाहर मे श्री शंकर, बदा पिता मनजी अंकित किया गया है। नामांतकरण के अवलोकन से यह प्रतित होता है कि बदा का नाम अलग से अंकन किया गया है।

पत्रावली पर प्रस्तुत सहायक दस्तावेज बदा का पहचान पत्र जो कि 15.01.1999 को जारी हुआ है उक्त पहचान पत्र में बदा के पिता का नाम

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

रामा अंकित है। जबकि नामान्तकरण दिनांक 20.12.1974 को दर्ज हुआ है। रेस्पोडेंट संख्या एक बदा द्वारा अपने जवाब में स्वयं को मनजी के गोद जाना बताया गया है, तब 15.01.1999 को जारी उक्त पहचान पत्र में बदा के पिता का नाम रामा के बजाय मनजी अंकित होना चाहिए था। परन्तु बदा के पिता का नाम मनजी अंकन नहीं होकर रामा अंकन होना रेस्पोडेंट के जवाब का विपरीत है।

रेस्पोडेंट बदा द्वारा लक्ष्मण पिता कचरा मीणा के नाम निष्पादित कराये गये विक्रय पत्र में स्टाम्प क्रय करते समय अंकन बदा पिता रामा मीणा है एवं उक्त स्टाम्प पर विक्रय पत्र निष्पादित करा बदा पिता मनजी नाम से ही पंजीयन उप पंजीयक अधिकारी बारापाल से पंजीकृत कराया गया है। उक्त विक्रय पत्र में एक स्थान पर बदा पिता रामा मीणा एवं एक स्थान पर बदा पिता मनजी का अंकन होना संदेहास्पद है।

उपरोक्त विवेचनानुसार यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत सरू द्वारा दिनांक 20.12.1974 को पारित नामांतकरण संख्या 379 त्रुटिपूर्ण है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत सरू द्वारा दिनांक 20.12.1974 को पारित राजस्व ग्राम हाईला कुई के नामान्तकरण संख्या 379 अपास्त किया जाता है एवं तहसीलदार गिर्वा को आदेशित किया जाता है कि उभयपक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए रिकार्ड एवं मृतक मनजी पिता कूल मीणा के विधिक वारिसानों की जॉच कर पुनः नामान्तकरण आदेश पारित करे एवं तद्अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावें।

आदेश सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(प्रतिभा वर्मा)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

मुकर्रर पत्रावली वास्ते अन्तिम अवसर बहस दिनांक
5.10.22 को पेश हो।

5.10.22
पत्रावली पेश हुई। अपीलांट अधिवक्ता
उपस्थित। अपीलांट अधिवक्ता की बहस सुनी गई।
अपील अपीलांट स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय
पृथक से टंकण करा संलग्न पत्रावली किया गया।
निर्णय खुले इजलास में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार
होकर नम्बर से कम हो।

प्रतिभा वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर